न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.),जबलपुर
म0प्र0

विशेष सत्र प्र0 कं0 234/2019
IA No. 439/5/2023
Filling Date-02-09-2023

कृष्णा यादव पिता स्व.सुदामा यादव,
उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी–म.नं.
1026 पटेल मोहल्ला,बादशाह हलवाई
मंदिर के पास,ग्वारीघाट रोड जिला
जबलपुर

आवेदक/अभियुक्त

विशेष सत्र प्र0 कं0 234/2019
IA No. 439/6/2023
Filling Date-02-09-2023

अनुराग परते उर्फ छोटू पिता कैलाश
परते, उम्र 28 वर्ष, निवासी पटेल मोहल्ला
पानी की टंकी के पास, बादशाह हलवाई
मंदिर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर

आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र ग्वारीघाट,
जिला जबलपुर (म.प्र.)

अनावेदक

दिनांक 09–09–2023

राज्य द्वारा विशेष लोक अभियोजक श्रीमती कृष्णा प्रजापति।
अभियुक्त अनुराग परते न्यायिक अभिरक्षा में, द्वारा श्री आशीष पासवान अधिवक्ता।
अभियुक्त कृष्णा यादव न्यायिक अभिरक्षा में, द्वारा श्री

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010315662019-orderno-

विजय कुमार अग्रवाल अधिवक्ता।

प्रकरण में उक्त दोनों आवेदन पत्रों धारा 439 दं.प्र.सं. का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

धारा 15 क(3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत उक्त आवेदन पत्रों पर फरियादीगण को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किये गये थे, जिसमें फरियादी नरेन्द्र ने उपस्थित होकर आपत्ति व्यक्त की है।

अभियुक्त अनुराग परते की ओर से यह निवेदन किया गया है कि वह मजदूर पेशा व्यक्ति है। मजदूरी करने के लिये वह जबलपुर से नागपुर चला गया था मोबाईल व सम्पर्क साधन न होने से वह अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर पाया और सुनवाई तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी हुआ। उसकी अनुपस्थिति का सद्भावी कारण है वह न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

अभियुक्त कृष्णा यादव की ओर से भी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वह सुनवाई तिथि पर न्यायालय के समक्ष भूलवश उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि वह अपनी बूढ़ी मां का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उनकी देखरेख व जिम्मेदारी में व्यस्त रहा इस कारण वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका, जिस कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर दिया गया। अभियुक्त विगत दिनांक 01–09–2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। वह जिला जबलपुर का स्थाई निवासी है उसके भागने की सम्भावना नहीं है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

उक्त दोनों ही आवेदन पत्रों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने आवेदनपत्रों का विरोध करते हुए निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण के अवलोकन करने से विदित होता है कि अभियुक्त अनुराग परते एवं कृष्णा यादव के विरूद्ध धारा 294,307/149भा.दं.वि. एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(5),

a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010315662019-orderno-

3(2)(5)(क) एवं 3(1)(द)(ध) का आरोप है। यह मामला वर्ष 2019 से लम्बित है। प्रकरण के अन्य अभियुक्त जमानत पर होकर उपस्थित हो रहे हैं। उक्त दोनों अभियुक्तगण के निरंतर अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप उनके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था, जिसके पालन में दिनांक 01–09–2023 को थाना ग्वारीघाट की ओर से उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और दोनों अभियुक्तगण दिनांक 01–09–2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन होना शेष है। अतः प्रकरण के निराकरण में समय लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त दोनों अभियुक्तगण विगत एक सप्ताह से न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित कारण को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि लम्बे समय तक अभियुक्तगण की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में विलम्ब हुआ है।

अतः उपरोक्त समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त अनुराग परते एवं कृष्णा यादव की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र इस शर्त पर स्वीकार किये जाते हैं कि अभियुक्तगण के पूर्व मुचलका राशि में से 1500–1500 रूपये की राशि जप्त की जाती है एवं शेष राशि माफ की जाती है।

फलतः अभियुक्त अनुराग परते एवं कृष्णा यादव की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि अभियुक्तगण की ओर से राजसात मुचलके की राशि 1500–1500/–रूपये जमा किये जाने एवं 50,000– 50,000/–रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि के स्वयं का बंधपत्र प्रत्येक सुनवाई तिथि पर उपस्थित होने तथा प्रकरण के निराकरण में किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न न करने की शर्त के अधीन प्रस्तुत किये जावे तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत् नियत दिनांक 10–10–2023 को पेश हो।

(गिरीश दीक्षित)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी)
जबलपुर (म.प्र.)

GIREESH DIKSHIT
Digitally signed by GIREESH DIKSHIT
Date: 2023.09.09 17:02:43 +0530

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010315662019-orderno-